

रिपोर्ट पटवारी हल्का/आई0एल0आर0 ...  
 आवेदन पत्र के सम्बन्ध में जांच की गई। जिसके अनुसार

उपखण्ड, उपखण्ड पत्र (पत्र) 1/11/2020 के अन्तर्गत 23/12/2020 को उपखण्ड अधिकारी  
 द्वारा महाला पु. मी. पालिका के जमाने में 23/12/2020 को उपखण्ड अधिकारी  
 द्वारा 23/12/2020 को उपखण्ड अधिकारी द्वारा 23/12/2020 को उपखण्ड अधिकारी

क्रमांक : राजस्व/2020/

मूल ही उपखण्ड अधिकारी महोदय, उदयपुरवाटी को प्रेषित कर निवेदन है कि आवेदन पत्र में उपखण्ड अधिकारी  
 का नाम दुरुस्त किया जाना उचित है/उचित नहीं है। आवेदक का नाम दुरुस्त किये जाने की प्रतिक्रिया की जाती है / नहीं  
 की जाती है।

दिनांक 13/12/2020  
 13/12/2020

तहसीलदार, उदयपुरवाटी/गुढागौड़जी  
**तहसीलदार गुढा गौड़जी**  
 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर उदयपुरवाटी जिला बुधुनु (राज.)

- आदेश :-

दिनांक :- 13-12-2020

प्रार्थी के "खाता दुरुस्ती" वर्काना पत्र पर उपखण्ड दस्तावेजी सक्षमों एवं तहसीलदार (भू0अ0) उदयपुरवाटी/गुढागौड़जी की रिपोर्ट के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 13B के अन्तर्गत में निम्नांकित दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर तहसीलदार (भू0अ0) उदयपुरवाटी/गुढागौड़जी को राजस्व रिकार्ड में अग्रत दरामद के आदेश दिये जाते हैं।

क्र.सं.	ग्राम	जमाबन्दी सम्बन्ध	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जानी है।)
1.	उदयपुरवाटी	202578	267	महाला पु. मी. पालिका जमाने में शुद्ध 1/11/2020 23/12/2020	महाला पु. मी. पालिका जमाने में शुद्ध 1/11/2020 23/12/2020

नोट :- शेष प्रविष्टियां यथावत रहेंगी तथा यदि उक्त भूमि रहन हो तो रहन मुक्त होने के उपरान्त निर्णय की पालना की जावे।

उपखण्ड अधिकारी, उदयपुरवाटी

दिनांक :- 13-12-2020

क्रमांक :- राजस्व/2020/ 2169

प्रतिलिपि :-

1. तहसीलदार (भू0अ0) उदयपुरवाटी/गुढागौड़जी को वास्ते पालनार्थ।
2. प्रार्थी/प्रार्थीया .....को सूचनार्थ।

उपखण्ड अधिकारी, उदयपुरवाटी